



कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्रौपदीघाट, इलाहाबाद-211014

परिपत्र संख्या 618

दिनांक 13.03.2019

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक लेखा, केन्द्रीय कार्यालय सी-7, दूसरी मंजिल, बान्द्रा कुर्ला परिसर, पो.बा.नं. 8143, बांद्रा ईस्ट मुम्बई -51
2. आई डी बी आई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त महाप्रबंधक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई बैंक।
4. प्रबंधक, समस्त केन्द्रीय पेंशन प्रकीर्णन केन्द्र।
5. सैन्य एवं वायु अटैची, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल।
6. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडीगढ़।
7. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
8. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।
9. समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक।
10. वेतन लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशा. , आर के पुरम् एवं तीसहजारी नई दिल्ली।
11. वेतन लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।
12. डाकपाल कटुआ, ज.व. का.
13. डाकपालकैम्प बेल वे,
14. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशा., पोर्ट ब्लेयर।

विषय: 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुसंशाओं पर सरकारी निर्णय का कार्यान्वयन- रक्षा पेंशनरों परिवार पेंशनरों के क्षति पेंशन अवार्ड नियामक उपबंधों के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का दिनांक 21.10.2016, 05.09.2017, 21.09.2017 एवं 07.09.2017 का परिपत्र सं. क्रमशः 570, 582, 585, एवं 584।

उपर्युक्त विषय पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 29.01.2019 का पत्रांक 16 (03)/2017/डी(पेंशन/पॉलिसी) जो स्वतः स्पष्ट है, एतद्वारा इस परिपत्र के संलग्नक के रूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

2. उपरोक्त सरकारी पत्रानुसार यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित क्षति पेंशन संबंधी अवार्डों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सीमा लागू की जाएगी।

अ. विकलांगता / उदारीकृत विकलांगता/ युद्ध क्षति अंश (यथा सेवा राशि का योग जोड़ विकलांगता/ अदारीकृत विकलांगता/ युद्ध क्षति अंश जैसा भी मामला हो) कर्मचारी की विकलांगता की मात्रा को नजरअंदाज करते हुए रु. 18000/- मासिक होगी।

ब. सैन्य बलों के परिवारों को स्वीकार्य विशेष परिवार पेंशन की राशि न्यूनतम रु. 18000/- प्रति माह होगी।

- स. सैन्य बलों के बच्चों को स्वीकार्य उदारीकृत परिवार पेंशन की राशि न्यूनतम रू. 18000/- प्रति माह होगी।
3. उपरिलिखित परिपत्र में दर्शाए गए इस पत्र से अप्रभावित समस्त प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
4. इस पत्र में वर्णित प्रावधान 01.01.2016 से प्रभावी होंगे।
5. इस परिपत्र को सभी रक्षा पेंशनरों एवं पेंशन संवितरण एजेंसियों के साथ- साथ सभी पक्षों में प्रस्सरण हेतु कार्यालय की वेबसाइट www.pcdapension.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है

(संदीप ठाकुर)

अपर नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./05/LXXXI

दिनांक 13.03.2019

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. सेना मुख्यालय, एडजुटेंट शाखा, पीएस-4 (ब) डी एच क्यू, पों. नई दिल्ली-11
4. सशस्त्र सेना मुख्यालय जीएस शाखा, पेंशन भुगतान व ए, डी एच क्यू, पों. नई दिल्ली-11
5. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
6. डीपीए वायु भवन, नई दिल्ली -11।
7. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम्, नई दिल्ली 66
8. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
9. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
10. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ़।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
12. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।
13. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
14. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
15. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
16. समस्त अभिलेख कार्यालय/समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
17. नौसेना पेंशन कार्यालय, द्वारा आई.एन.एस. तानाजी, सायन ट्राम्बे रोड, मानखुर्द, मुम्बई-88
18. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
19. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी./एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक, पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
20. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
21. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
22. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.)।
23. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
25. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
26. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
27. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।